तेंदुओं की आबादी में वृद्धि

drishtiias.com/hindi/printpdf/rise-in-leopard-population

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) द्वारा **'भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018'** (Status of leopards in India 2018) नामक रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तेंदुओं की आबादी में वर्ष 2014 से अब तक 60% की वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- तेंदुओं की अनुमानित आबादी वर्ष 2014 में लगभग 8,000 थी जो बढ़कर 12,852 हो गई है।
- तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी **मध्य प्रदेश** में (3,421) है, इसके बाद क्रमश: **कर्नाटक** (1,783) और **महाराष्ट्र** (1,9090) इस संदर्भ में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं।
- **क्षेत्रवार वितरण:**
  - **मध्य भारत और पूर्वी घाट** में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक (8071) है।
  - **पश्चिमी घाट में** तेंदुओं की कुल संख्या 3,387 है।
  - **शिवालिक और गंगा के मैदान** में तेंदुओं की कुल संख्या 1,253 है।
  - **पूर्वोत्तर पहाड़ियों में** तेंदुओं की कुल संख्या 141 है।
- रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं के निवास क्षेत्र में पिछले 100-125 वर्षों में अत्यधिक कमी आई है जबकि तेंदुओं की अनुमानित संख्या में वृद्धि हुई है।

गणना में प्रयुक्त की गई तकनीक:

- कैमरा ट्रैप
- सैटेलाइट इमेज़िंग
- भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा फील्ड कार्य।

सीमित दायरा:

- इस गणना को **प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger)** के तहत केवल बाघ आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित किया गया है,जबकि तेंदुओं की उपस्थिति सर्वव्यापी है।
- तेंदुए अन्य कृषि क्षेत्रों, गैर-वनों (चाय और कॉफी के बागान) और उत्तर-पूर्व के अधिकांश हिस्सों में भी पाए जाते हैं लेकिन इन क्षेत्रों को गणना में शामिल नहीं किया गया है।

तेंदुओं के लिये खतरे:

- वनों के विखंडन के साथ-साथ वनों की गुणवत्ता में गिरावट से निवास स्थान की क्षति होती है।
- मानव तथा तेंदुओं के मध्य संघर्ष।
- अवैध शिकार।
- प्राकृतिक शिकार स्थान (जहाँ ये शिकार कर सकते हैं) की क्षति।

संरक्षण की स्थिति:

- **IUCN की रेड लिस्ट** में तेंदुए को **सुभेद्य (Vulnerable)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **'वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन'** (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) के अंतर्गत इसे **परिशिष्ट-I** में शामिल किया गया है।
- **CITES का परिशिष्ट I:**
  इसमें उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो **विलुप्तप्राय हैं तथा** जिन्हें व्यापार से और भी अधिक खतरा हो सकता है।
- **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I** के तहत तेंदुए का शिकार प्रतिबंधित है।
  अनुसूची-I और अनुसूची-II के तहत भाग-II संकटग्रस्त प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन अनुसूचियों के अंतर्गत अपराध पर उच्चतम दंड निर्धारित किया गया है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन वर्ष 1982 में किया गया था।
- यह देहरादून (उत्तराखंड) के चन्द्रबनी में अवस्थित है।
- इस संस्थान द्वारा लुप्तप्राय जीवों, जैवविविधता, वन्यजीव नीति, जैव विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में शोध कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय (सांविधिक निकाय) है।
- इसका गठन टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों (वर्ष 2005) के बाद किया गया था।
- वर्ष 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों में संशोधन कर बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। प्राधिकरण की पहली बैठक नवंबर 2006 में संपन्न हुई।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस